कार्यक्रम का नाम- संविदा सेवायें (चिकित्सा पदाधिकारी एवं - प्रयोगशाला प्रावैधिक)

बजट - B.22.4 (RNTCP)

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण - RNTCP अन्तर्गत कार्यरत संविदा पर नियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों एवं प्रयोगशाला प्रावैधिक को राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्यरत उक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के समतुल्य मानदेय का प्रावधान स्वीकृत किया गया है।

इकाई लागत - 77.94 (लाख में) विवरणी संलग्न।

वित्तीय मार्गदर्शन - RNTCP अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों को 28000/- (अठाइस हजार रूपये मात्र) तथा प्रयोगशाला प्रावैधिक को 8500/- (आठ हजार पाँच सौ रूपये मात्र) मानदेय का प्रावधान है। मानदेय को राज्य स्वास्थ्य समिति जिला स्वास्थ्य समिति एवं RNTCP में कार्यरत कर्मियों/पदाधिकारियों के मानदेय समतुल्य हेतु NRHM के पार्ट-B बजट कोड-B-22.4 से जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा RNTCP में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों को 2000/- (दो हजार रूपये मात्र) तथा प्रयोगशाला प्रावैधिक को 1500/- (एक हजार पाँच सौ रूपये मात्र) अतिरिक्त राशि भुगतेय होगा। उक्त दोनों राशि का व्यय विवरणी अलग-अलग संधारित/संकलित होगा। यह दिशा निर्देश RNTCP में कार्यरत सभी चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रयोगशाला प्रावैधिक पर लागू होगा अर्थात जो राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में RNTCP अन्तर्गत कार्यरत है। यह वित्तीय निर्देश वर्ष 2011-12 के लिए प्रभावी है।

संलग्न — Bihar NRHM PIP - 2011-12
(पृष्ठ - 191) State health society
के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 23/6/14

(डा० अंजनी कुमार गुप्ता)
निदेशक-सह-राज्य कार्यक्रम
पदाधिकारी (यक्ष्मा)